न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 68/2019

1. प्रभुसिंह पुत्र भगवानसहाय जाति गुर्जर निवासी खुरीकलां तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 06.02.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्रभुसिंह मु0नं0 1/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 29.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 06.02.2019 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 495/2145 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत 2075 फसल रबी में तारबंदी कर व रास्ता बंदकर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बापी की झूठी व गलत रिपोर्ट के आधार नाजायज अवैधानिक आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को बिना नोटिस जारी हुए व बिना सुने आदेश पारित कर दिया। तामील पर प्रार्थी की पत्नि की फर्जी निशानी अगूठा कर झूठी रिपोर्ट अंकित की गई है। प्रार्थी द्वारा ग्राम बापी की खसरा नं0 495/2145 की 10 ऐयर भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है एवं स्वंय की भूमि पर ही काबिज है। जो पूर्व खातेदार केदार प्रसाद शर्मा बापी से खरीदी गई थी। प्रार्थी द्वारा भूमि खरीदने के बाद न तों किसी प्रकार की तारबंदी की गई है न ही किसी का अतिक्रमण किया गया है। बिना किसी नापतोल के व बिना किसी प्रकार सीमाज्ञान के झूठी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का भूमि मे अतिक्रमण बताया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के

तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर अपीलांट की पत्नि के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सिवायचक भूमि पर तारबंदी एवं रास्ता बंदकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि प्रार्थी को राजनैतिक एवं व्यक्तिगत अदावट से सरासर झूठी व गलत रिपोर्टो के आधार पर कार्यवाही की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 495/2145 सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है व रास्ते की भूमि खाली पडी है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किये जाने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट के प्रस्तुत शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास की सजा सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official